

Speed post/ तीव्र डाक

भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खानब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक कार्यालय
माखपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

Mine Code: 38RAJ14001

संख्या : RAJ/JSL-14/Lst-02/Vol-02

दिनांक : 14/11/2022

प्रेषित: ✓ खान एजेंट,

सानु-॥ चुनापत्थर खान,
मेसर्स राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड,
8-वेस्ट पटेल नगर,
पोस्ट: जोधपुर, जिला: जोधपुर
राजस्थान: 342001

ईमेल: sanumines@yahoo.in, jodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in, info.rsmml@rajasthan.gov.in

विषय: राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित आपकी सानु-॥ चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 998.40 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 03/10/2022 by undersign in presence of Sri Mahipal Jugtawat, Mine Manager, Sri Rajesh Samar, Geologist and Sri Ashish Parihar, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 01/12/2017 to the extent given below: (1) Mine development for the financial year 2021-22 has been proposed near boundary pillar N, I and northeast of the RSMM crusher and Screen plant. However, it is observed that mine development has not been carried out over proposed location. Resulting deviation in proposed location of the development and backfilling proposed for the year 2021-22. (2) Mineral Reject (backfilled) screening is not proposed in above mentioned Review of Mining Plan. However, screening of the mineral reject has been carried out.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय
Dm
14/11/2022
(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जैसलमेर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर